न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 139 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/149)
पंजीयन दिनांक– 04.03.2021
निर्णय दिनांक– 29.10.2021

1. श्रीमती रूकमा बाई पुत्री मांगिया (मांगु) बलाई, निवासी घोसुण्डा, पत्नि भैरूलाल सालवी हाल मुकाम गुर्जर खेडा नगरी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती रतनी पुत्री मांगीया (मांगु) बलाई, निवासी कांटी, हाल मुकाम घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड़ अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या
07 / 2017 निर्णय दिनांक 04.05.2018

निर्णय

दिनांक 29.10.2021

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 07 / 2017 निर्णय दिनांक 04.05.2018 के विरूद्ध दिनांक

29.10.2018 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 15.07.2013 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ग्राम घोसुण्डा की निवासी होकर स्वर्गीय मांगु उर्फ मांगिया की पुत्रियां है। पक्षकारान के मूलपुरूष उदा बलाई की खातेदारी की आराजीयात विरासत से नामांतरकरण संख्या 1364 से उदा के पांचों पुत्रों किशना, सोला, सोराम, मोडा एवं भुवाना के अलाव अन्य तीन पुत्र लाऔलाद फौत हुए। पक्षकारान स्वर्गीय मांगु की वारिसान होकर संयुक्त परिवार में वर्तमान में मौजूद है तथा आराजी नम्बर 2222, 2230, 2231, 2334 किता 04 रकबा 1.93 हैक्टेयर पर 1/2 प्रत्येक के हक अनुसार काबिज है, उक्त आराजीयत का विभाजन नहीं हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 1 संयुक्त परिवार की कृर्षि भूमि अकेले ही हडपने कि नियत से मेरे रिश्ते के भाई कालु जो कि किशना का पुत्र है का सूत्र तलाश कर संयुक्त परिवार की आराजीयात के 1/2 हिस्से की भूमि का नामांतरकरण अपने नाम दर्ज कराने की कार्यवाही गुपचुप तरीके से संपादित कर नामांतरकरण संख्या 1364 स्वीकृत करा लिया, जो अवैधानिक होकर निरस्तनीय है। जबकि उक्त कार्यवाही के संबंध में जीवित वारिसान को किसी प्रकार की कोई सूचना तक नहीं दी गई। नामांतरकरण स्वीकृत करते समय जिस पत्रावली के आधार पर विरासत कायम की गई वह पत्रावली भी फर्जी है, क्योंकि अपीलांट की ओर से पत्रावली की मांग पर उक्त पत्रावली का अस्तित्व नहीं होना बताया। इस प्रकार अपीलांट पारिवारिक सजरे

अनुसार विवादित भूमि में 1/2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 1/2 हक हिस्से के अधिकारी है। मृतक कालु की जिस वसीयतनामा के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1, 1/2 हक अपने हिस्सें में दर्ज कराया है वह वसीयतनामा फर्जी है तथा कालु तो किशना के जीवनकाल में ही मर गया था। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बोगस तरीके से उक्त आदेश प्राप्त किया। उपरोक्त पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 07/2017 निर्णय दिनांक 04.05.2018 से अपीलांट की अपील खारिज की जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.05.2018 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"अपील अपीलांट बाबत ग्राम घोसुण्डा, पटवार हल्का घोसुण्डा की आराजी संख्या 2222, 2230, 2231, 2234 किता 04 रकबा 1.93 हैक्टेयर के संबंध में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1364 के संबंध में प्रस्तुत अपील दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में प्रमाणित नहीं होने से खारिज की जाती है।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालिवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 25.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारान के मूल पुरूष उदा बलाई, निवासी घोसुण्डा से नामांतरण संख्या 1364 में उल्लेखित कृषि भूमि विरासत से उदा के पांचो पुत्रों क्रमशः स्व. किशना, स्व. सोला, स्व. मोडा, एवं स्व. भुवाना को हिस्सा बराबर से लगभग 25–30 वर्ष पूर्व ताउम्र शामिल शरीक निवासरत रहते हुए उक्त संयुक्त परिवार की कृषि भूमि

में काश्त करते रहे है उक्त पांचो वारिसान के केवल किशना एवं भुवाना के ही वंश चला अन्य तीन लाऔलाद संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में ही उनकी मृत्यु हुई है। नामांतरण की पंजिका की पुस्त पर उल्लेखित नवीन बंदोबस्ती आराजी नम्बर 2222, 2230, 2231 एवं 2234 किता 4 रकबा 1.93 हैक्टेयर यानि लगभग 9 बीघा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 का हिस्सा बराबर विरासत हक से प्राप्त हुई। इससे पूर्व कभी भी बटवाडा आदि भी नहीं हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 1 काफी चुस्त चालाक प्रवृति की महिला होकर तहसील कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 24.05.2013 की आड में नामांतरण संख्या 1364 भरवा कर दिनांक 15.07.2013 को आदेशित करा लिया गया। तहसील की पत्रावली 38/2005 में जीवित वारिसान को सूचना पत्र जारी नहीं किया गया एवं सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 बदनियती पूर्वक अपना 3/4 हिस्सा कायम करने की नियत से यह गुप्त, गोपनीय अवैध आदेश तहसीलदार से प्राप्त किया है। कालू कथित वसीयत निष्पादक किशना के जीवन काल में मर गया था इसलिए उनके कथित लिखतम हो भी सही तो वह वसीयत की श्रेणी में नही आता है। तहसीलदार द्वारा किसी भी साक्षी का परिक्षण नहीं किया गया है ना ही पटवारी हल्का से आराजी वार कब्जे की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी। उपरोक्त आदेश की पलाना 8 वर्षो के बाद दिनांक 15.07.2013 को की गई जो संदेहास्पद हैं। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू रूल्स के अनुसार अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वसीयत स्वीकृत नही किया जाना चाहिए था, जब तक की उक्त वसीयत सक्षम न्यायालय से प्रभावशील नही घोषित हो जाती है। तहसीलदार द्वारा उक्त बिन्दु को नजरअंदाज किया है। उक्त निर्णय की अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को सुनने का क्षेत्राधिकार नही था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त अपील का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार की मिसल तलब नही की गई, केवल सरसरी तौर से फाईडिंग देते हुए निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय न्याय, नियम एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किया

जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 04.05.2018 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 1364 तहसीलदार के निर्णय दिनांक 15.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में धारा 75 एवं 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुक्रम में तहसीलदार के विवादित निर्णय की अपील संभागीय आयुक्त को की जानी होती है तथा तहसीलदार के अविवादित निर्णय की प्रथम अपील जिला कलक्टर को की जानी होती है। उपखण्ड अधिकारी का श्रवणाधिकार सिर्फ पंचायत के नामान्तकरण की अपील तक ही होता है। इस प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील त्रुटिपूर्ण रूप से यदि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी कर दी तो उपखण्ड अधिकारी को उक्त अपील का श्रवणाधिकार नहीं था एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा श्रवणाधिकार से परे जाकर उक्त निर्णय को निर्णित किया है जबकि उसके लिए अपीलाण्ट द्वारा जैसाकि अपील मेमों के कलम संख्या 7–क में वर्णित किया गया है तथा अनुतोष चाहा है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार से परे निर्णय है। किसी भी क्षेत्राधिकार से परे निर्णय को विधिसम्मत् निर्णय नहीं माना जा सकता एवं तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन होने से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण में प्रस्तुत शुदा प्रथम अपील पत्रावली जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां दिनांक 28.12.2021 को उपस्थित हो। प्रथम अपील व तहसीलदार के न्यायालयों की मूल पत्रावलियां जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को को प्रेषित की जावें।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर